न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 8 / 2018

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1 बनवारी लाल पुत्र गुलाबराम उर्फ गुल्लाराम जाति ब्राहम्ण निवासी भोड़की तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 विश्म्भरदयाल पुत्र गुलाबराम उर्फ गुल्लाराम जाति ब्राहम्ण निवासी भोड़की तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

2 वासुदेव पुत्र गुलाबराम उर्फ गुल्लाराम जाति ब्राहम्ण निवासी भोड़की तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू हाल आबाद मकान नम्बर 155 सेक्टर 10 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी फरीदाबाद हरियाणा।

3 सुरेश कुमार पुत्र परमेश्वरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी भोड़की तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

4 श्रीमती गीता देवी पत्नी परमेश्वरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी भोड़की तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

5 श्रीमती शकुन्तला देवी पुत्री परमेश्वरलाल पत्नी देवेन्द्र कुमार निवासी सीकर तहसील व जिला सीकर।

6 श्रीमती आशा देवी पुत्री परमेश्वरलाल पत्नी पुरूषोतम निवासी प्रीतमपुरी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

7 श्रीमती सन्जु देवी पुत्री परमेश्वरलाल पत्नी कमलेश निवासी प्रीतमपुरी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

8 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

भू प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 01.05.2017
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी मुकदमा
नम्बर 172/2014 उनवानी प्रकरण बनवारी बनाम
विश्वम्भरदयाल वगैरह दावा बाबत घोषणार्थ व विभाजन

उपस्थिति :

1. श्री प्रकाश कुलहरी, अधिवक्ता अपीलांट

–निर्णय–

दिनांकः– 30.10.2019

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा संख्या 172/2014 में पारित निर्णय दिनांक 01.05.2017 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट ने एक दावा अधिनस्थ न्यायालय में इस आशय का पेश किया कि अपीलांट व रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 7 पूर्वज नन्दराम के वारिसान है, अपीलांट के पूर्वज नन्दाराम के एक कृषि भूमि गत खसरा नम्बर 1487 रकबा 8 बीघा 18 बिश्वा, वर्तमान खसरा नम्बर 2194 रकबा 2.26 हैक्टेयर वाके ग्राम भोड़की तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू को काश्त करते थे। नन्दाराम की मृत्यु के बाद बड़े पुत्र लक्ष्मीनारायण कर्ता खानदान होने के कारण राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि का उप कृषक दर्ज हो गया। लक्ष्मीनारायण के संवत 2000 में ना औलाद फौत होने के कारण उसके छोटे भाई औंकारमल को उप कृषक के अधिकार प्राप्त हो गये। औंकारमल का संवत 2005 में देहान्त हो गया, उसके बाद उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड गुलाब पुत्र औंकारमल के नाम दर्ज हो गया। गुलाबराम उर्फ गुल्ला का संवत 2011 में देहान्त हो गया। गुलाबराम उर्फ गुल्ला, अपीलांट व रेस्पोडेंट नम्बर 1 व 2 का पिता तथा रेस्पोडेंट नम्बर 3 लगायत 7

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन ... अपील अधिकारी

का दादा था। अपीलांट के पिता गुलाबराम उर्फ गुल्ला की मृत्यु हुई उस समय अपीलांट मात्र 10 वर्ष की उम्र का था तथा रेस्पोडेंट नम्बर 1 की उम्र 18 वर्ष व रेस्पोडेंट नम्बर 2 की उम्र 8 वर्ष थी तथा रेस्पोडेंट नम्बर 4 के पति वे रेस्पोडेंट नम्बर 3, 5 लगायत 7 के पिता परमेश्वरलाल उससे पूर्व ही फौत हो चुका था। इस कारण रेस्पोडेंट नम्बर 1 खानदान कर्ता होने के कारण उक्त कृषि भूमि को संयुक्त हिन्दु परिवार के श्रम से काश्त करवाया था। इस कारण रेस्पोडेंट नम्बर 1 के अकेले के नाम राजस्व कर्मचारियों की सहवन से गलती व भूल के कारण राजस्व रिकार्ड गलत दर्ज हो गया। अपीलांट को इस गलत राजस्व रिकार्ड की जानकारी हुई तो अपीलांट ने अदालत मातहत में दावा बाबत घोषणार्थ व विभाजन का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के पेश किया, जिसको अदालत मातहत ने बिना किसी आधार के दिनांक 01.05.2017 को खारिज कर दिया, जिसकी अपीलांट को दिनांक 14.11.2017 को जानकारी हुई। अदालत मातहत के उक्त आलौच्य निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपील प्रस्तुत हुई है।

बहस रेस्पोडेंट के अनुपस्थित रहने पर अपीलांट की सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि नन्दाराम अपीलांट व रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 7 के पूर्वज है। जिसके कारण अपीलांट का भी उक्त भूमि में 1/4 हिस्सा है व रेस्पोडेंट नम्बर 1 का 1/4 हिस्सा रेस्पोडेंट नम्बर 2 का 1/4 हिस्सा व रेस्पोडेंट नम्बर 3 लगायत 7 संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा कानूनन है। अदालत मातहत ने पूर्वज नन्दाराम तथा औंकारमल का नाम खसरा गिरदावारी संवत 2009 में कृषक के रूप में दर्ज है तथा उसके बाद में अपीलांट का पिता गुलाबराम उर्फ गुल्ला उप कृषक दर्ज है, जिससे भी बखूबी साबित है कि उक्त भूमि अपीलांट कि पैतृक भूमि है तथा रेस्पोडेंट व अपीलांट गुल्लाराम के विधिक वारिसान है। अदालत मातहत ने उक्त वर्णित भूमि अपीलांट की पैतृक भूमि न मानकर भंयकर कानूनी भूल की है। अदालत मातहत ने अपीलांट द्वारा पेश की गयी वंशावली व उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, वंशावली अनुमोदन पत्र पर गौर नहीं किया। अदालत मातहत ने राजस्व रिकार्ड व अपीलांट व रेस्पोडेंट नम्बर 2 लगायत 7 का उक्त भूमि पर कब्जा

भू प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

काश्त होने के तथ्य पर भी गौर नहीं किया, ना ही अपीलांट व रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 7 के पूर्वजों की खातेदारी काश्त की उक्त भूमि होने के तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया। जानकारी से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत है। अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली का एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा विद्वान वकील की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात जमाबन्दी संवत 2020 से 2023 लगायत 2065 से 2068 के अनुसार उक्त वर्णित भूमि 2194 की खातेदारी विशेश्वर पुत्र गुल्ला के नाम दर्ज रिकार्ड चली आ रही है। जो प्रस्तुत वाद में बतौर प्रतिवादी नम्बर 1 दर्ज है। विचारण न्यायालय अथवा प्रथम अपील न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई है। जिससे विवादित भूमि वादी अपीलांट एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के नाम दर्ज होना प्रकट [illegible] की ओर से फर्द के साथ नकल [illegible] बनवारी एवं नकले [illegible] उदयपुरवाटी प्रस्तुत किये गये किन्तु [illegible] से भी वादी अपीलांट को अपना वाद साबित करने में कोई [illegible] नही होती है। विचारण न्यायालय ने विधि सम्मत विवेचन कर [illegible] खारिज किया है। जिसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते [illegible]

[illegible] के आधार पर अपील अपीलांट [illegible]

निर्णय आज दिनांक 30.10.2019 को सर इजलास सुनाया गया।

(बृजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,